GOVERNMENT OF RAJASTHAN
FINANCE (Insurance) DEPARTMENT

F.5(5)FD/Insurance/2020 Part-II   Jaipur, dated : 07 JUL 2021

ORDER

Sub: Subscription to the Rajasthan Government Health Scheme Fund.

Ref: Finance (Insurance) Department notification No. 5(5)FD/Insurance/2020 dated 9-4-2021 and FD (Rules) Memorandum No. F.1(4)FD/Rules/2021 dated 15-04-2020.

In pursuance of the provisions at point No. 1 of the aforesaid notification dated 9-4-2021 and para 10 of Memorandum dated 15-04-2020, the Governor is pleased to order that the rates of subscription to the Rajasthan Government Health Scheme Fund will be as under :

Employees who are drawing pay in the prescribed levels in the Pay Matrix as prescribed under the Rajasthan Civil Services (Revised Pay) Rules, 2017 and in the scale of pay structure identical to the Rajasthan Civil Services (Revised Pay) Rules, 2017–

S. N.	Category of Government Servants	Subscription per month (Rs) for the Government servant appointed before 1-1-2004	Subscription per month (Rs) for the Government servant appointed on or after 1-1-2004
1	2	3	4
1	Employees drawing basic pay in the Pay Matrix upto Rs. 18000/-	265.00	135.00
2	Employees drawing basic pay in the Pay Matrix above Rs. 18000/- but upto Rs.33500/-	440.00	220.00
3	Employees drawing basic pay in the Pay Matrix above Rs.33500/- but upto Rs.54000/-	658.00	330.00
4	Employees drawing basic pay in the Pay Matrix above Rs.54000/-	875.00	440.00

Note:-

1. This order shall come into force from 1-7-2021 i.e. subscription shall be commenced from the salary for the month of July, 2021 payable on 1st August, 2021.
2. Employees who were recruited on or after 1-1-2004 will have option either to continue with Raj Mediclaim Policy or to register themselves in RGHS as new beneficiary. In case they opt to register themselves in RGHS, then.they will have make subscription on the rates as mentioned in Column No. 4 of above table
3. Retired employees who were recruited on or after 1-1-2004 will have to make subscription on the monthly rate or make one time subscription for 10 years for life time validity on the rates as mentioned in Column No. 4 of above table.
4. Subscription in RGHS fund shall be made in Budget Head 8342-00-120-(69) of RGHS.

By order of the Governor,

(Naresh Kumar Thakral)
Special Secretary, Finance (Exp.)

Copy forwarded to the–

1. Secretary to Hon'ble Governor.
2. Principal Secretary to Hon'ble Chief Minister.
3. All Special Assistants / Private Secretaries to Ministers / State Ministers.
4. All Additional Chief Secretaries/ Principal Secretaries/Secretaries/Special Secretaries to the Government.
5. Sr. D.S. to Chief Secretary.
6. Accountant General Rajasthan, Jaipur (200 copies).
7. All Heads of the Departments.
8. Director, Treasuries & Accounts, Rajasthan, Jaipur with 100 spare copies for sending to all Sub- Treasury Officers.
9. Director, State Insurance and Provident Fund Department.
10. Deputy Director (Statistics), Chief Ministers' Office.
11. All Treasury Officers.
12. All Sections of the Secretariat.
13. Administrative Reforms (Gr.7) with 7 copies.
14. Vidhi Rachana Sanghthan, for Hindi translation.
15. Technical Director, Finance Department (Computer Cell).
16. Guard File.

Copy also to the –

1. Secretary, Rajasthan Legislative Assembly, Jaipur with 20 extra copies for Subordinate Legislative Committees.
2. Registrar General, Rajasthan High Court, Jodhpur / Jaipur.
3. Secretary, Rajasthan Public Service Commission, Ajmer.
4. Secretary, Lokayukta Sachivalaya, Rajasthan, Jaipur.

07/7/2021
Joint Secretary,
FD (Insurance)

राजस्थान सरकार
राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग,
(आरजीएचएस)
डी—ब्लॉक, द्वितीय तल, वित्त भवन, जनपथ, ज्योति नगर, जयपुर—302005
फोन:— 0141-2744570 email: add.dir.rghs@rajasthan.gov.in

क्रमांक:एफ.1 (240)/मेडि/जीआईएस/आरजीएचएस/20—21/ 470 दिनांक: 13-7-21

समस्त संयुक्त/उप/सहायक निदेशक
राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग।

विषय:— मेडिक्लेम पॉलिसी के आई कार्ड जारी करने बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना (RGHS) का प्रथम चरण 01 जुलाई, 2021 से आरम्भ कर दिया गया है। राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग द्वारा जारी राज मेडिक्लेम एवं अन्य मेडिक्लेम पॉलिसी हेतु आई कार्ड जारी करने की व्यवस्था को समाप्त कर, निर्देशित किया जाता हैं कि समस्त लाभार्थियों को RGHS में समाहित करने हुए कैशलेस चिकित्सा सुविधा प्रदान की जावेगी। अतः साबीनि मुख्यालय एवं समस्त राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग जिला कार्यालयों द्वारा पुनर्भरण दावे अब RGHS ई कार्ड के माध्यम से सब्मिट किये जा सकेंगे।

(शिप्रा विक्रम)
अति. निदेशक (आरजीएचएस)
वित्त भवन, जयपुर।

क्रमांक:एफ.1 (240)/मेडि/जीआईएस/आरजीएचएस/20—21/ 471 दिनांक: 13-7-21
प्रतिलिपि:

(1) निजी सचिव, निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रा नि विभाग, मुख्यालय, जयपुर
(2) रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक (आरजीएचएस)
वित्त भवन, जयपुर।

Scanned with CamScanner

राजस्थान सरकार

कार्यालय परियोजना निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग,

(आरजीएचएस)

डी–ब्लॉक, द्वितीय तल, वित्त भवन, जनपथ, ज्योति नगर, जयपुर–302005

फोनः– 0141-2744570 email: helpdesk.rghs@rajasthan.gov.in

क्रमांकःएफ.1 (240)/आरजीएचएस/2021/ दिनांकः

परिपत्र 1

विषयः– राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना (RGHS) में पंजीयन के सम्बन्ध में।

माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान के बजट भाषण 2021 के बिन्दु संख्या 244, "Central Government Health Scheme (CGHS) के अंतर्गत मिलने वाली चिकित्सा सुविधाओं के अनुरूप माननीय विधायकगण, पूर्व विधायकगण एवं राज्य के सरकारी, अर्द्धसरकारी–निकाय, बोर्ड, निगम आदि के कर्मचारी–अधिकारियों तथा पेंशनरों को cashless एवं बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से CGHS की तर्ज पर Rajasthan Government Health Scheme (RGHS) लागू करने की मैं, घोषणा करता हूँ।", की अनुपालना में राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना के प्रथम चरण का आरम्भ दिनांक 01.07.2021 से कर दिया गया है।

राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना में माननीय मंत्रीगण, माननीय भूतपूर्व मंत्रीगण, माननीय विधायक, माननीय पूर्व विधायक, अखिल भारतीय और न्यायिक सेवा के अधिकारी, 01.01.2004 के पूर्व और पश्चात नियुक्त सेवारत कार्मिक एवं 01.01.2004 के पूर्व नियुक्त और अब सेवानिवृत्त कार्मिक के लिए पूर्व के चिकित्सा सुविधा प्रदान करने सम्बन्धी रूल्स एवं रेगुलेशन्स अब आरजीएचएस में निहित कर दिये गये हैं, **अतः आरजीएचएस वेबपोर्टल पर पंजीयन करवाया जाना अनिवार्य है।**

राज्य सरकार के आदेश संख्या एफ.5 (5) वित्त/बीमा/2020 पार्ट–II जयपुर दिनांक 07.07.2021 में आरजीएचएस की कटौती राजस्थान सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियम, 2017 और इसके समान पे–मेट्रिक्स में वेतन पर निम्नलिखितानुसार सारिणी–I में निर्धारित की गयी हैः–

सारिणी – I

क्र. सं.	राज्य कार्मिक की श्रेणी	01.01.2004 से पूर्व नियुक्त राज्य कर्मियों के लिए मासिक अंशदान (₹)	01.01.2004 से नियुक्त राज्य कर्मियों के लिए मासिक अंशदान (₹)
1	2	3	4
1	कार्मिक जो पे–मेट्रिक्स में ₹ 18000/– तक वेतन आहरित कर रहे हैं।	265.00	135.00
2	कार्मिक जो पे–मेट्रिक्स में ₹ 18000/– से 33500/– वेतन आहरित कर रहे हैं।	440.00	220.00
3	कार्मिक जो पे–मेट्रिक्स में ₹ 33500/– से 54500/– वेतन आहरित कर रहे हैं।	658.00	330.00
4	कार्मिक जो पे–मेट्रिक्स में ₹ 54500/– से अधिक वेतन आहरित कर रहे हैं।	875.00	440.00

1. 01.01.2004 से नियुक्त कार्मिकों के वेतन से आरजीएचएस अंशदान की कटौतीः–

दिनांक 01.01.2004 से नियुक्त कार्मिकों को चिकित्सा व्यय के लाभ पूर्व में राजमेडिक्लेम पॉलिसी के अन्तर्गत प्राप्त हो रहे हैं। वित्त विभाग के आदेश संख्या एफ.5 (5) वित्त/बीमा/2020 पार्ट–II जयपुर दिनांक 07.07.2021 में ही इन कार्मिकों को आरजीएचएस में अंशदान या राजमेडिक्लेम का विकल्प दिया गया है।

वे कार्मिक जो राजमेडिक्लेम को चुनते हैं उनके लिए बीमाधन पूर्व की भांति ₹ 3.00 लाख रहेगा और चिकित्सा सुविधा कैशलेस प्राप्त होगी। उल्लेखनीय है कि कार्मिक द्वारा आरजीएचएस अथवा राजमेडिक्लेम दोनों में से किसी भी योजना को चुनने पर आरजीएचएस पोर्टल पर पंजीकरण कराना अनिवार्य है । कार्मिक को इसके लिए इस परिपत्र के संलग्न विकल्प पत्र अपने आहरण एवं वितरण अधिकारी को प्रस्तुत करना होगा।

वे कार्मिक जो आरजीएचएस अंशदान का विकल्प पत्र भरकर अपने आहरण एवं वितरण अधिकारी को देंगे उनकी आरजीएचएस कटौती उपरोक्त सारिणी–I के कॉलम 4 के आधार पर बजट मद 8342–00–120–(69) में की जावेगी व इन कर्मचारियों को आरजीएचएस योजना के तहत ₹ 5 लाख कैशलेस इनडोर/डे–केयर (₹ 20,000/– तक ओपीडी) एवं अतिरिक्त ₹ 5 लाख गम्भीर बीमारियों के लिए चिकित्सा सुविधा प्रतिवर्ष प्रति परिवार देय होगी।

2. अखिल भारतीय व न्यायिक सेवा के अधिकारियों के लिए आरजीएचएस अंशदान की कटौतीः–

अखिल भारतीय सेवा व न्यायिक सेवा के अधिकारीगण पर राजस्थान सिविल सेवा (मेडिकल अटेंडेस) रूल्स, 2013 चिकित्सा नियम लागू हैं और इनकी आरजीएचएस कटौती उपरोक्त सारिणी–I के कॉलम 3 के अनुसार बजट मद 8342–00–120–(69) में की जावेगी।

3. 01.01.2004 के बाद नियुक्त सेवानिवृत्त कार्मिकों के लिए आरजीएचएस अंशदानः–

ऐसे कार्मिक जिनकी नियुक्ति 01.01.2004 या उसके बाद हुई थी और अब सेवानिवृत्त हो गये हैं, उन्हें मासिक आधार पर अंशदान या जीवन पर्यन्त आरजीएचएस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए 10 वर्ष के बराबर एकमुश्त अंशदान निम्न सारिणी–II के अनुसार बजट मद 8342–00–120–(69) में करना होगाः–

सारिणी–II

क्र.सं.	सेवानिवृत्त कार्मिक को वेतन पे–मेट्रिक्स (01.01.2004 या उसके पश्चात नियुक्त)	01.01.2004 से नियुक्त राज्य कर्मियों के लिए मासिक अंशदान (₹)	01.01.2004 से नियुक्त राज्य कर्मियों के लिए एकमुश्त अंशदान (₹)
1	सेवानिवृत्ति के अन्तिम माह में पे–मेट्रिक्स में ₹ 18000/– तक वेतन आहरण	135.00	135 × 120 = 16200
2	सेवानिवृत्ति के अन्तिम माह में पे–मेट्रिक्स में ₹ 18000/– से 33500/– वेतन आहरण	220.00	220 × 120 = 26400
3	सेवानिवृत्ति के अन्तिम माह में पे–मेट्रिक्स में ₹ 33500/– से 54500/– वेतन आहरण	330.00	330 × 120 = 39600
4	सेवानिवृत्ति के अन्तिम माह में पे–मेट्रिक्स में ₹ 54500/– से अधिक वेतन आहरण	440.00	440 × 120 = 52800

(शिप्रा विक्रम)
परियोजना निदेशक (RGHS)
वित्त भवन, जयपुर

क्रमांक:एफ.1 (240)/आरजीएचएस/2021/480-84/ दिनांक: 14.07.2021

प्रतिलिपिः

(1.) निजी सहायक, निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रा नि विभाग, मुख्यालय, जयपुर

(2.) अतिरिक्त/संयुक्त/उप/सहायक निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रा नि विभाग सम्भाग एवं जिला कार्यालय

(3.) समस्त विभागाध्यक्ष

(4.) समस्त कोषाधिकारी

(5.) समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारी

(6.) रक्षित पत्रावली।

(शिप्रा विक्रम)
परियोजना निदेशक (RGHS)
वित्त भवन, जयपुर

GOVERNMENT OF RAJASTHAN
Office of the Project Director, State Insurance & P.F. Department
(Rajasthan Government Health Scheme)
2nd Floor, D-Block, Vitta Bhawa, Janpath, Jaipur
email: helpdesk.rghs@rajasthan.gov.in Phone: 0141-2740219 website:https://www.rghs.rajasthan.gov.in

OPTION FORM FOR OPTING RGHS

I,...(Name)...(Post and Office), hereby declare that I opt to avail medical facilities under RGHS of Govt. of Rajasthan.

I, authorize monthly pay bill deduction for RGHS (Fund) as per prescribed pay slab rate by State Government from time to time

I understand that once above option is exercised, I shall not be entitled for reimbursement of expenses incurred by me on medical attendance and treatment of myself and my family members under RCS (MA) Rules, 2013; RPMF and other group mediclaim policies issued by SIPF department.

Signature of the Government Servant

Name of the employee : ....

Employee Id ....

Designation..

Department..

C:\Users\LENOVO\Desktop\pooran\option form for RGHS.docx